तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 177/2018 (जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00379) बअनवान बाबुलाल बनाम सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

बाबुलाल व अन्य

बनाम

सरकार इत्यादि

उपस्थित

1. श्री बाबुलाल गोरा अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01,02
3. श्री दीपसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 03

आदेश

दिनांक 21.03.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 75/2017 अनवान बाबुलाल बनाम सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 मई 2018 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 26 सितंबर 2018 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 291 रकबा 12.16 बीघा ग्राम मियासनी तहसील जोधपुर पर अपीलांट्स का पीढियों से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट्स का कब्जा काश्त समय-समय पर राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परिवर्तनशील इत्यादि में अपीलांट्स के पूर्वज श्रीराम पुत्र धनाराम का नाम दर्ज है। अपीलांट्स के विरुद्ध दो बार धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही भी संस्थित की गई है। इससे साबित है कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सूचित किये पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प ग्राम पंचायत बिरामी में रखकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज कर दिया। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली अप्रार्थीगण के जवाब में विचाराधीन चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को सूचित किये बिना पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर निर्णित कर दिये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट द्वारा अपने रिकॉर्ड हेतु दिनांक 07.08.2018 को नकल प्राप्त करने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 177/2018 (जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00379) बअनवान बाबुलाल बनाम सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 मई 2018 को अपास्त फरमाया जावे एवं ताफैसला मूल वाद रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 291 रकबा 12.16 बीघा नामांतरकरण संख्या 253 दिनांक 19.07.2012 के जरिये जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की जाकर मौके कब्जा जोधपुर विकास प्राधिकरण को सुपुर्द किया गया है। अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहां तक अपील प्रस्तुति में विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 291 रकबा 12.16 बीघा नामांतरकरण संख्या 253 दिनांक 19.07.2012 के जरिये जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 177/2018 (जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00379) बअनवान बाबुलाल बनाम सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कब्जा काश्त होने के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स का हस्तगत मामले के प्रति उदासीन रवैया रहा है। उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष चार वर्ष की अवधि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के प्रति कोई प्रयास नहीं किये गये है तथा न ही अदालत हाजा के समक्ष वर्ष 2018 से आज दिनांक तक किसी प्रकार का प्रयास किया गया है। लिहाजा अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है कि अपीलांट्स को शीघ्र उपचार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 मई 2018 यथातव रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर